सं0सं0– 96 (H.S.)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन,भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी सिविल सर्जन
बिहार।

पटना, दिनांक:– 03/04/2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2016 से राज्य के सभी जिलों में देशी शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में देशी शराब के नही मिलने के परिणामस्वरूप आद्तन शराबी व्यक्ति को समुचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी सदर/जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किया गया है।

2. विदित हो कि कुछ ऐसे भी आद्तन शराबी व्यक्ति होंगें जिनका नशा मुक्ति केन्द्र में ईलाज के बावजूद जीवन बचाने हेतु शराब (IMFL - Indian Made Foreign Liquor) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। ऐसे आद्तन शराबी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में शराब उपलब्ध कराये जाने के लिए परमिट निर्गत किये जाने हेतु महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निम्नरूपेण होंगे :–

1. ऐसे व्यक्ति जो नशा मुक्ति केन्द्र में शराब संबंधी बीमारियों के निराकरण हेतु न्यूनतम 3 दिन भर्ती होकर उपचार करवाये हुए हों, जिनके जीवन को बचाने हेतु इस कंडिका के तहत परमिट प्राप्त करने हेतु विशेष परिस्थिति में योग्य होंगे । ऐसे मामलों में नशा मुक्ति केन्द के नोडल पदाधिकारी एवं जिला अस्पताल के उपाधीक्षक के संयुक्त निर्णय में अगर यह आवश्यक समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति को उच्चतम उपचार के बावजूद उसकी शारीरिक, मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और अगर यह महसूस किया जाता है कि एक नियंत्रित मात्रा में

शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके जीवन पर संकट आ सकता है या वो अपना मानसिक संतुलन खो सकता है तो ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित मात्रा में शराब सेवन हेतु परमिट निर्गत किया जायेगा । यह ध्यान रखना होगा कि उसको शराब सेवन की अनुमति देने से उसके स्वास्थ्य/मानसिक स्थिति में किसी प्रकार की गिरावट न हो । ऐसा परमिट दोनों पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक बार में अधिकतम 2 सप्ताह के लिए अधिकतम 2 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0लि0– व्हिस्की, रम, ब्राण्डी) निर्गत किया जा सकता है । इस अधिसीमा के अन्तर्गत शराब की कितनी मात्रा एवं कितनी अवधि के लिए परमिट निर्गत किया जाये, यह परमिट निर्गत करने वाले पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया जायेगा । इसके लिए रोगी के मद्यपान का इतिहास एवं प्रत्येक रोगी के विशिष्ट अलग–अलग वैसी समस्याओं को ध्यान में रखकर मात्रा निर्धारित की जा सकती है ।

2. परमिट निर्गत करते वक्त ध्यान रखा जाये कि समय के अन्तराल पर शराब की मात्रा में कमी की जाये ताकि ऐसे व्यक्ति जो शराब संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो वे निकट भविष्य में इसे पूरी तरह से छोड़ सके ।

3. परमिट कम्प्यूटर के माध्यम से दो प्रति में निर्गत की जायेगी । एक प्रति आवेदक/आवेदक के परिवार के प्राधिकृत सदस्य/अभिभावक को दी जायेगी और एक प्रति कार्यालय में संधारित रहेगी और इस प्रयोजनार्थ प्रखंडवार संधारित गार्ड फाइल में साटी जायेगी । कम्प्युटर में ऐसी व्यवस्था की जाये कि अगर दुबारा किसी व्यक्ति को परमिट निर्गत करने की आवश्यकता पड़े तो उसके पूर्व निर्गत परमिट के विशिष्टताओं का भी स्पष्ट पता चल सके । सुझाव के तौर पर excel में इसकी व्यवस्था की जा सकती है, जहां पर प्रखंडवार excel में रोगी का नाम देकर excel sheet रखा जाये और जहां पर कम्प्युटर द्वारा निर्गत विशिष्टताओं का उल्लेख हो । प्रत्येक excel sheet रोगी के नाम से हो। इसके साथ यह भी व्यवस्था हो कि जो भी परमिट निर्गत किया जाये उसमें excel sheet का Ref. No जरूर हो ताकि cross-referencing की जा सके । कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं

होने पर विशेष परिस्थिति में Manually परमिट दिया जा सकेगा एवं इसका पूर्ण लेखा/जोखा संधारण किया जायेगा ।

4. **नशा मुक्ति केन्द्र में शराब का उपयोग उपचार की विधि के रूप में नहीं किया जायेगा ।**
5. प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग अपने स्तर से यह निर्देश निर्गत करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से निर्गत परमिट को रोगी द्वारा जिले में BSBCL के चिन्हित (मात्र एक दुकान) दुकान में उपयोग हेतु जब उपस्थापित किया जाये तो उक्त निर्गत परमिट के मात्रा के आलोक में ही शराब उपलब्ध करायी जाये । तत्क्षण उस परमिट के विरूद्ध निर्गत की गयी मात्रा उसी परमिट के पीछे लिख दी जाये और उस पर मोहर और हस्ताक्षर उक्त दुकान के व्यवस्थापक द्वारा लगायी जाये, जिससे देखने पर स्पष्ट हो सके कि निर्गत परमिट के विरूद्ध कितनी मात्रा का उपयोग हुआ है और कितना देना शेष है । हर हालत में परमिट के मूल प्रति पर ही शराब निर्गत किया जाय-- छायाप्रति (photocopy) मान्य नहीं होगी । साथ में परमिट न0 पर निर्गत शराब की मात्रा दुकान में संधारित परमिट रजिस्टर में भी अंकित करेंगे । जब BSBCL के सुपरवाइजर संतुष्ट हो जायेगा कि निर्गत परमिट की पुरी मात्रा का उपयोग रोगी द्वारा कर लिया गया है तो उक्त रोगी से वो परमिट मूल में प्राप्त कर लेगा और अपने कार्यालय में उक्त निर्गत परमिट को अपने गार्ड फाईल में संधारित रखेगा । साथ में रोगी को उक्त BSBCL दुकान द्वारा एक रसीद निर्गत की जायेगी कि उक्त रोगी ने निर्गत परमिट संख्या के तहत निर्गत मद्यपान का पूर्ण उपयोग कर लिया है । अगर उक्त व्यक्ति को पुनः परमिट देने की आवश्यकता होगी तो उसको दूसरी परमिट प्राप्त करने के पूर्व BSBCL द्वारा निर्गत रसीद को अनिवार्य रूप से पुनः परमिट निर्गत करते व्यक्ति को दिखाना होगा । बिना उक्त रसीद के उक्त रोगी को पुनः परमिट नहीं दिया जायेगा ।
6. तद्नुसार उपरोक्त विधि का अनुसरण करके विशेष परिस्थति में परमिट निर्गत किया जाय । ध्यान रखा जाये कि जिला अस्पताल के स्तर पर जो व्यक्ति ऐसे

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

3/4/16

(आर.के.महाजन)

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक : 96 (H.S.), पटना दिनांक 03-04-2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, 3/4/16
स्वास्थ्य विभाग

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : 96 (H.S.), पटना दिनांक 03-04-2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेद्य को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/4/16
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेद्य को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : 96(H.S.), पटना दिनांक 03-04-2016

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

3/4/16
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेद्य को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : 96 (H.S.), पटना दिनांक 03-04-2016

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/4/16
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

मामलों को देखेंगे वे स्वच्छ छवि के हो । किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था का दुरूपयोग न हो एवं इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे । दुरूपयोग के मामलों में संबंधित चिकित्सक/पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेद्य को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : ....., पटना दिनांक .....

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक : 96 (H.S.), पटना दिनांक 03-04-2016

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक, स्वास्थ्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, 3/4/16
स्वास्थ्य विभाग

शराब परमिट

आवेदक का स्वअभिप्रमाणित फोटो

(निर्गत करने वाले प्रधिकार का हस्ताक्षर एवं मोहर)

परमिट सं.:..... दिनांकः

सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....

पिता/पति..... पता.....

.....मो0..... जिनका हस्ताक्षर निम्नांकित है, को उनके विशिष्ट स्वास्थ्य कारणों से परमिट संख्या.....दिनांक.....निर्गत किया जा रहा है। उनको .....बोतल (प्रति बोतल 750 ml. Whisky/Rum/Brandy) विदेशी शराब के लिए अनुमति दी जाती है। यह परमिट निर्गत होने की तिथि से.....तारीख..... तक वैध होगा।

तथापि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पता.....

.....जो उनके परिवारिक सदस्य/अभिभावक हैं। उनका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नीचे दिया गया है।

मरीज का हस्ताक्षर / परिवार के सदस्य अभिभावक का हस्ताक्षर
मरीज के साथ संबंध.....

नोडल पदाधिकारी
(मोहर के साथ हस्ताक्षर)

उपाधीक्षक
(मोहर के साथ हस्ताक्षर)

Note : जब रोगी द्वारा इस परमिट को बी.एस.बी.सी.एल. के दुकान में उपयोग हेतु दिया जाये तो दुकान के प्राधिकृत्त मैनेजर द्वारा इस परमिट के विरूद्व निर्गत शराब की मात्रा परमिट के पीठ पर अंकित कर दुकान की मोहर एवं मैनेजर का हस्ताक्षर बनाकर ही लौटाया जाय। साथ में इसकी प्रविष्टि दुकान में संधारित परमिट पंजी में भी जरूर की जाय। जब परमिट का पूर्ण उपयोग हो जाय तो परमिट रोगी से प्राप्त दुकान में संधारित Permit Guard File में साटा जाय एवं परमिट पंजी में परमिट के सामने Fully Utilized अंकित किया जाय। साथ में रोगी को रसीद निर्गत किया जाय कि उक्त परमिट पूर्ण रूपेण उपयोग कर लिया गया है।